

पत्र संख्या : ८८/४७०१ यो०ज०सं०-०८/१२ १६६
 झारखण्ड सरकार
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,
 एस० के० शतपथी,
 प्रधान सचिव।

सेवा में,
 मुख्य अभियंता राँची;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ८-१-१३

विषय :— मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—७२—मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. (चालू योजना), विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180796720545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२—१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२—२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रु. में) |
|------|--|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1. | ४९—जल संसाधन विभाग / ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०—सामान्य | ७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / ७२ — मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. (चालू योजना), | ०५—निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, ४९P470180796720545 | ०.५० |

आवंटित राशि – ₹ पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२—१३ के बजट उपबंध रु. ६५३.०० लाख (छः करोड़ तिरेपन लाख) मात्र। के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत परिशिष्ट १ में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

१.१.८६
 (सुरेश प्रसाद भगत)
 सहायक अभियंता

८६
 (जयप्रकाश भट्टाचार्य)
 उप सचिव (अभि.)

८६
 (सुबोध कुमार सिन्हा)
 संयुक्त सचिव (अभि.)

८६
 (बी. सी. निगम)
 विशेष सचिव
 (लि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

/ ६६

रॉची, दिनांक :- ८-१-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो.- हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

/ ६६

रॉची, दिनांक :- ८-१-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

म.प.भ.
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

6
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

सु.क.
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

बी.सी.निगम
(एस० के० शतपथी)
विशेष सचिव

प्रधान सचिव

गोग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिवाय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष-72-मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. (चालू योजना),

शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य 49P470180796720545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपलब्ध 653.00 लाख (छ: करोड़ तिरेपन लाख) मात्र।

(लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमंडल का नाम | मुख्य अनियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | मार्च 2012 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन | | | |
|------|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटित राशि | असुरक्षित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | जलपथ प्रमंडल, चाईबासा | राँची | शुरु जलाशय योजना | 9635.32 | 64 / 10-11 प्र०स्वी० दिनांक-30.03.2011 | 2613.97 | 18.00 | 0.50 | 18.50 | D.P.R तैयार करने हेतु |
| | | | कुल योग | | | 18.00 | 0.50 | 18.50 | | |
| | | | आवंटित राशि - ₹ पचास हजार मात्र। | | | | | | | |

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि०)

(सुधाकर कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० कौ० शतपथी)

प्रधान सचिव